

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1689]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938

No. 1689]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

का.आ. 2322(ब).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि कोई लोक सेवक वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट 'आय-कर घोषणा स्कीम, 2016' के अधीन किए गए किसी विधिमान्य घोषणा के संबंध में शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके कब्जे में आने वाले किसी ऐसे दस्तावेज या अभिलेख या कोई जानकारी या कंप्यूटरीकृत डाटा या उसके किसी भाग को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा।

[अधिसूचना सं. 56/2016, फा.सं.142/8/2016-टीपीएल]

डा. टी. एस. मेघवाल, अवर सचिव